राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
Telefax:0141–2222403 E-mail-dlbrajasthan@gmail.com web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः 335 दिनांक : 13/2/17

–:: परिपत्र ::–

विषयः– राज्य की स्थानीय निकायों हेतु विज्ञापन नीति निर्धारित किये जाने बाबत्।

राज्य की स्थानीय निकायों यथाः नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका विभिन्न कारणों से समय–समय पर विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित किये जाने का कार्य किया जाता है। इन संस्थाओं द्वारा जारी किये गये जाने वाले विज्ञापनों के लिए वर्तमान में किसी प्रकार की नीति निर्धारित नहीं है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी0 बी0 सिविल रिट याचिका (पी0आई0एल) स0 9602/2016 सुधीर शारदा बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 04.10.2016 को आदेश पारित कर, निर्देशित किया गया है कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा उक्त संस्थाओं के लिए, कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किये गए मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए एक विज्ञापन नीति तैयार करें।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य की समस्त नगरीय निकायों द्वारा प्रकाशित/प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापनों के लिए निम्नानुसार विज्ञापन नीति निर्धारित की जाती हैः–

1. राज्य की नगरीय निकायों द्वारा विज्ञापन जारी किये जाने हेतु राज्य के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी विज्ञापन नीति–2001 तथा परिपत्र दिनांक 11.02.2015 में अर्न्तनिहित प्रावधानों यथा संशोधित प्रावधानों की पालना में की जानी होगी।
2. विज्ञापन भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में जारी दिशा–निर्देशों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Common Cause V/s Union of Inida में गठित समिति के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए ही जारी किये जायेंगे। नीलामी, सामग्री का उपापन एवं निविदायें आदि जारी किये जाने वाले प्रकरणों में विज्ञापन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के तहत जारी किये जायेंगे।
3. किसी भी नगरीय निकाय द्वारा विज्ञापन केवल केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं एवं जन कल्याण कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु ही जारी किये जा सकेंगे।
4. नगरीय निकाय स्वयं के द्वारा किये गए विकास कार्यो की उपलब्धियों के प्रचार हेतु भी विज्ञापन जारी कर सकती है।
5. नगरीय निकायों द्वारा विज्ञापन उन्हीं परिस्थितियों में जारी किया जायेगा जबकि उस संस्था के स्वयं की निजी आय सुदृढ़ हो एवं विज्ञापन के पेटे होने वाले व्यय की वहन करने की स्थिति में हो। योजना विशेष के प्रावधानों के अनुसार यदि प्रचार–प्रसार हेतु

राशि का प्रावधान उपलब्ध हो तो उन परिस्थितियों में जारी किये जाने वाले विज्ञापन का भुगतान प्रथमतः योजना विशेष में प्रचार–प्रसार के मद में उपलब्ध राशि में से ही किया जायेगा। योजना विशेष में प्रचार–प्रसार मद में राशि उपलब्ध नहीं होने पर निकाय की निजी आय से वहन किया जा सकता है।

6. नगरीय निकायों द्वारा किसी भी परिस्थिति में त्यौहारों के अवसर पर बधाई संदेश, नेताओं के आगमन पर स्वागत संदेश अथवा जन्म दिवस आदि की बधाईयों इत्यादि संबंधित विज्ञापन प्रकाशित नही करवाये जायेंगे एवं विज्ञापन राजनैतिक लाभ हेतु जारी नहीं किया जायेगा।
7. विज्ञापन उन्हीं समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा सकेगा, जिसका प्रसार (Circulation) उस नगरीय निकाय के क्षेत्र में आवश्यक रूप से हों।
8. समस्त नगरीय निकाय विज्ञापनों का प्रकाशन जनसम्पर्क निदेशालय / संवाद / DAVP द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जनसम्पर्क निदेशालय राजस्थान संवाद के माध्यम से ही करवा सकेगी।
9. समस्त नगरीय निकाय विज्ञापनों का प्रकाशन जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा निर्धारित दरों पर ही करवा सकेंगी।
10. इलेक्ट्रॉनिक मिडिया पर विज्ञापन प्रसारण RTPP एक्ट एण्ड रूल्स की पालना करते हुए ही करवाया जा सकेगा।
11. नगरीय निकाय विज्ञापनों का प्रकाशन निर्धारित सीमित / आकार में ही करवाएगी।
12. निर्धारित अवधि में समाचार पत्र / पत्रिका का बिल प्राप्त कर नियमानुसार भुगतान करेगी।
13. विज्ञापन का प्रसारण प्रदत्त वित्तीय अधिकारों की सीमा में ही किया जायेगा।

(डॉ. मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः 335 – 534

दिनांक : 13/2/17

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
8. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी नगर निगम / परिषद / पालिकाएं समस्त राजस्थान।
9. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय।
10. सीएमएआर एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव